उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 114/2026–27 दिनांक : 21.09.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सुभाष कुमार पुत्र श्री दुर्गा पद, परिवादी
चन्दननगर, पो0–दिनेशपुर, तहसील गदरपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री सुभाष कुमार पुत्र श्री दुर्गा पद का एक शिकायती पत्र दिनांक 11.08.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU2C216079884 (01 किलोवाट घरेलू) पर जारी विद्युत बिल का भुगतान दिनांक 03.08.2026 को ऑनलाईन किया गया था। उनके खाते से पैसे डेबिट हो गये है, परन्तु उनके विद्युत खाते में अभी तक पैसा जमा नहीं हुआ है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत बिल के ऑनलाईन भुगतान की जांच करते हुए, भुगतान धनराशि को बिल में समायोजित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 11.08.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 22.08.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 07.09.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 07.09.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रकाश चन्द्र शाह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) रूद्रपुर–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–6058 दिनांक 07.09.2026 के

क्रमशः 2....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी द्वारा विद्युत बिल के मद में किए गये ऑनलाईन भुगतान रू0 4703.00 को उनके विद्युत खाते में समयोजित कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र पंथाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 43/2026–27 दिनांक : 07.09.2026

उपस्थितः **श्री राम सिंह नेगी,**
(तकनीकी सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री राज कुमार पुत्र श्री राम सरन, परिवादी
हाथी खाना, वार्ड नं0 08, सितारगंज।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज।

निर्णय

परिवादी श्री राज कुमार पुत्र श्री राम सरन का एक शिकायती पत्र दिनांक 11.06.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–882H124171208 (03 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल लगभग 1000–1200 का आता था। भुगतान भी समयानुसार कर दिया जाता था, लेकिन इस बार माह अप्रैल 2026 में रू0 47670.00 का विद्युत बिल जारी किया गया, जो बहुत अधिक है। यह समस्या स्मार्ट मीटर लगने के बाद उत्पन्न हुई है। संभवतः नए मीटर रीडर द्वारा गलत रीडिंग अंकित की गई है, जिससे इतना अधिक बिल बन गया है। बिल प्राप्त होने के बाद पिछले 02 माह से उनके द्वारा विभागीय कार्यालय में लगातार सम्पर्क किया जा रहा है तथा बिल सही करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है, लेकिन विभाग द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर जारी विद्युत बिल की जांच कराकर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, सितारगंज को अपने पत्र दिनांक 11.06.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 20.06.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 29.06.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 29.06.2026, 10.07.2026, 22.07.2026, 13.08.2026 व 21.08.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री हर्षित जेसवाल, सहायक

क्रमशः 2....

अभियन्ता (राजस्व), सितारगंज के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—2692 दिनांक 19.08.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के परिसर पर दिनांक 25.09.2025 को स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया। परिवादी के पुराने मापक में अंतिम रीडिंग 35346 पायी गयी, जिसमें से 30344 रीडिंग तक की बिल पूर्व में निर्गत कर दिए गए थे। परिवादी के पुराने मीटर में अवशेष बची 5002 यूनिट खपत को मंच के निर्देशानुसार माह 10/2024 से माह 10/2025 तक के बिलों में समायोजित किया गया। उक्त क्रम में परिवादी के विद्युत बिल में रू0 12819.00 का समायोजन देते हुए रू0 10365.90 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद संः 118/2026–27 दिनांक : 21.09.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री प्रबन्धक, सीओ सनसाइन एकेडमी जूनियर हाईस्कूल, खेमपुर पलकाचौर, गुलरभोज, तहसील गदरपुर। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2 — विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री प्रबन्धक सीओ सनसाइन एकेडमी जूनियर हाईस्कूल का एक शिकायती पत्र दिनांक 12.08.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU6M100171651 (05 किलोवाट व्यवसायिक) पर स्थापित विद्युत मीटर को बदला गया है, मीटर बदलने के उपरांत जारी किए गये नवीन विद्युत बिल में पुराने बिल की राशि को पुनः जोड़ा गया है। जबकि उनके उक्त संयोजन का माह अप्रैल तक का बिल भुगतान किया जा चुका है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त नवीन विद्युत बिल में जोड़ी गई बकाया राशि को हटाते हुए संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 12.08.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 22.08.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 07.09.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 07.09.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रकाश चन्द्र शाह, सहायक अभियन्ता (राजस्व), रूद्रपुर–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–6060 दिनांक 07.09.2026 के

क्रमशः 2....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के विद्युत बीजक की जांच करने पर त्रुटिपूर्ण विद्युत बीजक में संशोधन किया गया है। परिवादी के विद्युत बिल में रू0 43955.00 का समायोजन देते हुए रू0 40540.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र गैरोला)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 55/2026–27 दिनांक : 07.09.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री विजय कुमार पुत्र स्व0 श्री बालकिशन सनवाल, परिवादी
ग्राम देवरिया, किच्छा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादी श्री विजय कुमार पुत्र स्व0 श्री बालकिशन सनवाल का एक शिकायती पत्र दिनांक 29.06.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्त्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC9G205002630 (05 एच0पी0 नलकूप) का विद्युत बिल रू0 1,74,000.00 का जारी किया गया है। उनका संयोजन जब से चालू है, तब से बिल जोड़ा जा रहा है, जबकि विभाग के पास वर्ष 2012 से पूर्व का कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। उपभोक्ता द्वारा अपने सभी बिलों के भुगतान की रसीदें उपलब्ध है। विद्युत बिल संशोधन के सम्बन्ध में वह विभागीय कार्यालय कई बार जा चुके है फिर भी बिल सही नहीं किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त नलकूप विद्युत बिल की जांच कराकर, संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 29.06.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 15.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.07.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.07.2026, 23.07.2026, 12.08.2026 व 21.08.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री विवेक उपाध्याय, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक–2, किच्छा के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—1902 दिनांक 11.08.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी को माह 12/2013 व 06/2014 में निर्गत विद्युत बीजक में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 बिलिंग प्रणाली द्वारा क्रमशः त्रुटिपूर्ण ब्याज रू0 27041.00 व 14672.00 का आगणन किया गया था। वर्तमान में परिवादी के विद्युत बीजक रू0 1,55,879.00 में से कुल रू0 18,816.00 का ऋणात्मक समायोजन करते हुए रू0 1,37,063.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र सयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 94 / 2026–27 दिनांक : 22.09.2026

उपस्थितः **श्री राम सिंह नेगी**
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री कर्म सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह,
शिवपुरी, बाजपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर। विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री कर्म सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह की यह शिकायती दिनांक 24.07.2026 को विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर में आयोजित शिविर के दौरान इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–3621306086818 (01 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल अधिक आ रहा है, जबकि वह अपने बिलों का नियमित रूप से भुगतान करते आ रहे हैं। फिर भी बिल अधिक आ रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर जारी विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, को अवलिम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3882 दिनांक 07.09.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी की विद्युत बिल अधिक आने की शिकायत के अनुपालन में परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मापक की जांच हेतु सहायक अभियन्ता (मापक), विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, बाजपुर द्वारा दिनांक 13.08.2026 को सीलिंग प्रपत्र

क्रमशः 2....

संख्या–20 / 1158 के माध्यम से चैक मापक स्थापित किया गया तथा दिनांक 05.09.2026 को सीलिंग प्रपत्र संख्या–20 / 1158 के माध्यम से चैक मापक फाइनल कर उतारा गया। सहायक अभियन्ता (मापक), विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, बाजपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये, सीलिंग प्रमाण पत्रों के आधार पर दोनों मापकों में बराबर खपत दर्ज की गई। दोनों मापकों में कोई अंतर नहीं पाए जाने पर परिवादी परिसर से चैक मापक उतार लिया गया। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप चैक मापक रिपोर्ट एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की छायाप्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग परिवादी परिसर पर दिनांक 14.01.2026 को स्मार्ट मापक स्थापित किया गया तथा इसके बाद से ही परिवादी को लगातार मीटर में दर्ज रीडिंग के आधार पर बिल निर्गत किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी परिसर पर चैक मापक स्थापित कर उसके मीटर की जांच की गई। चैक मापक रिपोर्ट के अनुसार परिवादी परिसर पर स्थापित प्रश्नगत मापक उक्त जांच में सही पाया गया। चूंकि सही मापक में अंकित रीडिंग के आधार पर प्रेषित बिल पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र मैयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 119/2026–27 दिनांक : 22.09.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती फरजाना अफरोज पत्नी श्री शकील अहमद, परिवादी
वास्ते श्री फैहम अंसारी,
वार्ड नं0 03, इस्लामनगर, सितारगंज।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती फरजाना अफरोज पत्नी श्री शकील अहमद की ओर से श्री फैहम अंसारी का एक शिकायती पत्र दिनांक 13.08.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–882H146128705 (03 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल पिछले माह के बिल से अधिक आया है जिसका भुगतान करने में वह असमर्थ है। उन्हें आशंका है कि विद्युत बिल में रीडिंग या गणना में कोई त्रुटि के कारण इतना अधिक बिल आया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर जारी विद्युत बिल की जांच कराकर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, सितारगंज को अपने पत्र दिनांक 13.08.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 22.08.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 08.09.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 08.09.2026 को परिवादिनी की ओर से श्री फैहम अंसारी के तथा विपक्षी की ओर से श्री हर्षित जेयसवाल, सहायक अभियन्ता (राजस्व), सितारगंज के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–2960 दिनांक 07.09.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के विद्युत बिलं माह 09/2024 से माह 10/2025 तक आई0डी0एफ0 में बहुत कम रीडिंग के आधार पर जारी हुए हैं। माह 10/2025 में परिवादिनी के परिसर पर स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया, जिसके उपरांत परिवादिनी के वास्तविक खपत के आधार पर बिल जारी किए जा रहे हैं। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप उपखण्ड अधिकारी द्वारा लिखित रिपोर्ट एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को लगातार मीटर में दर्ज खपत के आधार पर बिल निर्गत किए जा रहे हैं। माह 10/2025 में परिवादिनी के संयोजन पर स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया, जिसके उपरांत भी उसे मीटर में दर्ज खपत के बिल निर्गत किए गए। कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी के मीटर की जांच हेतु दिनांक 22.07.2026 को चैक मापक स्थापित किया गया तथा दिनांक 06.08.2026 को चैक मापक फाइनल किया गया, जिसमें परिवादिनी का मापक सही चलता पाया गया। चूंकि सही मापक में दर्ज खपत के आधार पर निर्गत बिलों पर परिवादिनी की देयता बनती है। अतः परिवादिनी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मैठाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 61/2026–27 दिनांक : 07.09.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती मीरा रौतेला, परिवादी
ए12, आर्शीवाद गार्डन, जयनगर नं0 04, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती मीरा रौतेला का एक शिकायती पत्र दिनांक 02.07.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–8922306788307 (02 किलोवाट घरेलू) पर दिनांक 03.06.2026 से दिनांक 27.06.2026 तक, लगभग 24 दिनों के बाद, आखिरकार विभाग द्वारा उनके परिसर पर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर स्थापित कर दिया गया है, जबकि वह स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना चाहती है वह इलेक्ट्रॉनिक सामान्य मीटर ही लगवाना चाहती है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्मार्ट मीटर के स्थान पर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगवाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 02.07.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 15.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 22.07.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 22.07.2026, 12.08.2026 व 21.08.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4818 दिनांक 18.07.2026 के

क्रमशः 2....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया कि परिवादिनी के नये विद्युत संयोजन हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिनांक 03.06.2026 को कर दिया गया था, जिसके उपरांत परिवादिनी द्वारा दिनांक 20.06.2026 को ऑनलाईन शुल्क जमा कर दिया गया था। इसके उपरांत दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की अधिष्ठापन और प्रचालन) संशोधन विनियम, 2026 के बिन्दु–2(ख) के अनुसार दिनांक 27.06.2026 को परिवादिनी के परिसर पर नया विद्युत मापक (स्मार्ट मापक) संख्या–42216046 स्थापित कर विद्युत संयोजन निर्गत किया गया। अधिशासी अभियंता ने पत्र संख्या–5476 दिनांक 11.08.2026 के द्वारा अवगत कराया कि वर्तमान में परिवादिनी का उक्त मापक बिलिंग प्रणाली में अद्यतन हो चुका है तथा परिवादिनी द्वारा माह 06/2026 व 07/2026 के बिलों का भुगतान भी किया जा चुका है। उन्होंने पत्र संख्या–5717 दिनांक 20.08.2026 के द्वारा यह भी अवगत कराया कि वर्तमान में विभाग के पास केवल स्मार्ट मापक ही उपलब्ध है, पुराने इलेक्ट्रॉनिक मापक उपलब्ध नहीं है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी द्वारा लिखित रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

समीक्षा

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादिनी द्वारा विपक्षी विभाग में एक नए विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया, जिसके संबन्ध में विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर दिनांक 03.06.2026 को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया। विपक्षी विभाग ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि नए विद्युत संयोजन हेतु परिवादिनी द्वारा दिनांक 20.06.2026 को ऑनलाइन शुल्क जमा किया गया तथा दिनांक 27.06.2026 को (07 दिन में) परिवादिनी के परिसर पर स्मार्ट मापक संख्या–42216046 स्थापित कर, उसे विद्युत संयोजन निर्गत कर दिया गया। अतः यह स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर परिवादिनी को नया विद्युत संयोजन निर्गत किया गया।

परिवादिनी ने अपनी शिकायत में कथन किया है कि, विपक्षी विभाग द्वारा उनकी सहमति के बगैर उनके संयोजन पर स्मार्ट मापक स्थापित किया गया, जबकि उनके द्वारा स्मार्ट मापक लगाने से साफ इनकार कर दिया गया था। परिवादिनी का तर्क है कि उनकी सहमति के बिना उनके संयोजन पर जबरन स्मार्ट मापक स्थापित किया जाना गलत व नियमविरूद्ध है। परिवादिनी द्वारा अपने इस तर्क के संबन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के कतिपय आदेश का भी जिक्र किया गया, परन्तु उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई। अतः वर्तमान परिस्थितियों में उनके उपरोक्त तर्क पर विचार किए जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। विपक्षी विभाग ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की अधिष्ठापन और प्रचालन) संशोधन विनियम, 2026 के बिन्दु–2(ख) के अनुसार परिवादिनी के परिसर पर दिनांक 27.06.2026 को स्मार्ट मापक संख्या–42216046 स्थापित कर नया विद्युत संयोजन निर्गत किया गया। विपक्षी विभाग द्वारा उक्त विनियम की प्रति भी इस मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की अधिष्ठापन और प्रचालन) संशोधन विनियम, 2026 के बिन्दु–2(ख) में स्पष्ट उल्लिखित है कि **"संचार नेटवर्क वाले क्षेत्रों में सभी उपरोक्ताओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर,**

क्रमशः 3....

सुसंगत भारतीय मानक के अनुसार स्मार्ट मीटर के साथ बिजली की आपूर्ति की जाएगी.... ।" उपरोक्त विनियम के अनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी परिसर पर स्मार्ट मापक स्थापित कर विद्युत संयोजन निर्गत किया जाना सही एवं नियमानुकूल है। अतः परिवादिनी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 124/2026–27 दिनांक : 22.09.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती सरोज रानी, परिवादी
495/10, अरोरा क्लीनिक के पीछे, होली चौक,
आवास विकास, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती सरोज रानी का एक शिकायती पत्र दिनांक 17.08.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–8913437166988 (घरेलू) जिस कालोनी में स्थापित है, वहां पर स्थापित विद्युत मीटर में पूरी तरह से विद्युत आपूर्ति नहीं आ रही है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विद्युत कार्यालयों में भी शिकायत दर्ज करायी गयी है, लेकिन विभाग द्वारा उक्त समस्या को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है, जिस कारण आज दिनांक तक कोई भी निवारण नहीं किया गया है। यदि उक्त शिकायत का कोई निवारण नहीं किया गया तो अन्य उच्च अधिकारियों एवं न्यायालय की मदद लेनी पड़ेगी। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर तक आने वाली विद्युत आपूर्ति एवं सम्बन्धित विद्युत अवसंरचना का निरीक्षण कराने एवं यथाशीघ्र विद्युत आपूर्ति बहाल कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 18.08.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 25.08.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 07.09.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 07.09.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित

क्रमशः 2....

रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक, रूद्रपुर–1 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–5945 दिनांक 03.09.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया कि परिवादिनी की शिकायत की जांच में पाया गया कि परिवादिनी के परिसर की विद्युत आपूर्ति सम्बन्धित समस्या, सम्बन्धित 11 केवीए विद्युत लाईन में फॉल्ट की वजह से उत्पन्न हुई थी, जिसे सम्बन्धित उपखण्ड कार्यालय द्वारा दिनांक 18.08.2026 को सही करते हुए परिवादिनी के परिसर की विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी समस्या का निवारण कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी द्वारा लिखित रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय ओम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र थपलियाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 66/2026–27 दिनांक : 07.09.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री लक्ष्मण सिंह नयाल पुत्र श्री दीवान सिंह नयाल, परिवादी
पुनेठा, खटीमा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

निर्णय

परिवादी श्री लक्ष्मण सिंह नयाल पुत्र श्री दीवान सिंह नयाल का एक शिकायती पत्र दिनांक 06.07.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KH2K704067221 (03 किलोवाट घरेलू) पर स्थापित रूफटॉप नेट मीटर तेज धूप के दौरान इन्वर्टर का आउटपुट एक अनियमित पैटर्न दिखाता है, विद्युत उत्पादन लगभग 2600W-3600W तक बढ़ जाता है, फिर अचानक लगभग 400W-700W हो जाता है। फिर बढ़कर 2500W-3900W तक चला जाता है फिर घटकर 340W-650W हो जाता है। यह चक्र एक घण्टे के भीतर कई बार होता है। सिस्टम इंस्टॉलर से इसकी जांच कराने पर पता चला कि यह ग्रिड–ओवर वोल्टेज ट्रिप की स्थिति का संकेत है। इसके ग्रिड वोल्टेज की सुरक्षा सीमा अधिक होने पर इन्वर्टर स्वचालित रूप से आउटपुट कम कर देता है या बन्द कर देता है। वोल्टेज सामान्य होने पर वह पुनः चालू हो जाता है। यह स्थिति सुबह लगभग 11:00 बजे से दोपहर लगभग 02:00 बजे तक बनी रहती है। यह समस्या बार–बार आ रही है जिससे सौर ऊर्जा उत्पादन में भारी नुकसान हो रहा है। साथ ही नेट मीटरिंग के तहत वित्तीय हानि भी हो रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर वोल्टेज की समस्या का समाधान कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 06.07.2026 द्वारा

क्रमशः 2....

नोटिस जारी कर दिनांक 15.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 23.07.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 23.07.2026, 13.08.2026 व 21.08.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक–2, खटीमा के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1396 दिनांक 20.08.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी की उक्त शिकायत के अनुपालन में सम्बन्धित अवर अभियन्ता 33/11 केवी उपसंस्थान, कंजाबाग द्वारा स्थलीय निरीक्षण करने के उपरांत मौखिक रूप से यह अवगत कराया कि परिवादी के क्षेत्र में विद्युत वोल्टेज से सम्बन्धित कोई भी समस्या नहीं है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप एम.आर.आई. रिपोर्ट एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी की वर्तमान शिकायत उसके सोलर प्लांट में विद्युत उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होने के संबन्ध में तथा परिवादी द्वारा विपक्षी विभाग की विद्युत लाइन में वोल्टेज फ्लक्चुवेशन को इसका प्रमुख कारण बताया है। विपक्षी विभाग ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि परिवादी के क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करने पर अवर अभियंता द्वारा बताया गया है कि उक्त क्षेत्र में वोल्टेज की कोई समस्या नहीं है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप परिवादी परिसर के निकटवर्ती एक अन्य उपभोक्ता के मीटर की एमआरआई रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। विपक्षी विभाग की उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि संबन्धित क्षेत्र में वोल्टेज संबन्धी कोई समस्या नहीं है। सोलर प्लांट में विद्युत उत्पादन प्रभावित होने संबन्धी शिकायत पर सुनवाई करना अथवा निर्णय पारित करना इस मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 125/2026–27 दिनांक : 22.09.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री जगदीश पाण्डे पुत्र श्री आई0डी0 पाण्डे, परिवादी
ड्रीम लेंड सिटी, 72 नियर शिव मन्दिर, छतरपुर, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी श्री जगदीश पाण्डे पुत्र श्री आई0डी0 पाण्डे का एक शिकायती पत्र दिनांक 17.08.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–8922306184567 (03 किलोवाट घरेलू) पर प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा संयत्र के तहत आवेदन संख्या–NP-UKPC24-005195486 द्वारा दिनांक 10.03.2025 को सोलर पैनल लगाया गया था, जिसका विभाग द्वारा आधिकारिक प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है। इसके उपरांत केन्द्र सरकार द्वारा उनके खाते में सब्सिडी सफलतापूर्वक भेजी जा चुकी है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अभी तक सब्सिडी नहीं दी गई है। उनके द्वारा निर्धारित सभी तकनीकी आवश्यकताओं और दस्तावेजों को पूर्ण कर लिया गया है फिर भी राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी जारी नहीं की जा रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित सोलर पैनल लगाने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को जल्द दिलवाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 18.08.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 25.08.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 07.09.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 07.09.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक, रूद्रपुर–1 के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–5711 दिनांक 20.08.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी की मुख्यतः शिकायत पी0एम0 सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के अंश की सोलर सब्सिडी उनके खाते में प्राप्त न आने के सम्बन्ध में। परिवादी द्वारा स्वयं उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार उनके रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना एवं कमीशनिंग पूर्ण हो चुकी है तथा दिनांक 10.03.2025 को कमीशनिंग प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका है। साथ ही उनके द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी प्राप्त होना भी स्वीकार किया गया है। परिवादी की उक्त शिकायत विशेष रूप से राज्य सरकार की लम्बित सब्सिडी के भुगतान से सम्बन्धित है। राज्य सरकार की उक्त सब्सिडी के प्रसंस्करण/स्वीकृति/वितरण से सम्बन्धित कार्यवाही उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (UREDA), उत्तराखण्ड शासन के स्तर से की जाती है तथा सब्सिडी की स्वीकृति अथवा भुगतान सम्बन्धी कार्य विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1, उपाकालि के क्षेत्राधिकार में नहीं है। परिवादी की उक्त शिकायत राज्य सरकार की लम्बित सब्सिडी से सम्बन्धित है जिसकी शिकायत व आवश्यक कार्यवाही हेतु UREDA के सक्षम स्तर से ही की जानी अपेक्षित है। विपक्षी विभाग द्वारा अपना लिखित दावे की प्रति प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी की वर्तमान शिकायत, प्रधानमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राज्य सरकार से मिलने वाली सब्सिडी से संबन्धित है, जिसके संबन्ध में सुनवाई करना अथवा निर्णय पारित करना इस मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद संः 71/2026–27 दिनांक : 07.09.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री अविनाश चन्द्र अग्रवाल, परिवादी
पुरानी तहसील के पास खड़जा रोड, खटीमा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

निर्णय

परिवादी श्री अविनाश चन्द्र अग्रवाल का एक शिकायती पत्र दिनांक 13.07.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KH2K229102968 (03 किलोवाट घरेलू) पर पुराना मापक हटाकर नया स्मार्ट मापक लगाया गया है, जिसका प्रथम बिल रू0 28735.00 का जारी किया गया है जो बहुत अधिक है। वह अपने बिल का भुगतान लगातार करते आ रहे है फिर इतना अधिक बिल कैसे आ सकता है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित स्मार्ट मीटर के आधार पर जारी विद्युत बिल की जांच कराकर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 13.07.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 21.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 23.07.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 23.07.2026, 13.08.2026 व 21.08.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक–2, खटीमा के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1397 दिनांक 20.08.2026 के

क्रमशः 2....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के परिसर पर माह अगस्त 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया था, परन्तु विभाग के बिलिंग साफ्टवेयर में इसका अपडेट काफी विलंब से माह जून 2026 में हो पाया, जिसके उपरांत परिवादी को रू0 28735.00 का बिल निर्गत किया गया था। परिवादी को माह जून 2026 में निर्गत उक्त त्रुटिपूर्ण विद्युत बीजक (रू0 28735.00) में रू0 4685.00 का समायोजन दिया जा चुका है, जिसके उपरांत परिवादी को रू0 23264.00 का संशोधित बिल निर्गत कर दिया गया था। वर्तमान में परिवादी को मापक की रीडिंग के आधार पर बिल निर्गत हो रहे हैं। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 131/2026–27 दिनांक : 22.09.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सुशील कुमार मैनेजर जय महाकाल पैकेजिंग,
ग्राम धीमरखेड़ा, दरियाल रोड़, काशीपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर। विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री सुशील कुमार मैनेजर जय महाकाल पैकेजिंग का एक शिकायती पत्र दिनांक 21.08.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–370K000099017 (औद्योगिक) का उपयोग एक सूक्ष्म औद्योगिक इकाई के संचालन में किया जाता है, जो केन्द्र सरकार की PMEGP योजना के अंतर्गत स्थापित है। उक्त संयोजन मऊवाखेड़ागंज फीडर के अंतर्गत आता है। उक्त फीडर की विद्युत आपूर्ति विगत कई महीनों से अत्यंत जर्जर और दयनीय स्थिति में है। मामूली हवा चलने या पेड़ के पत्ते हिलने पर भी पूरी रात के लिए विद्युत कटौती की जाती है, जबकि काशीपुर के अन्य औद्योगिक सभी फीडर चालू रहते है। इसी फीडर की सप्लाई सुबह 09 बजे से 10 बजे के बीच दी जाती है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित (जेई) जूनियर इंजीनियर को फोन किया जाता है तो वह फोन ही नहीं उठाते है। इस बदहाल विद्युत व्यवस्था के कारण प्रार्थी का उद्योग बन्द होने की कगार पर है। प्रार्थी का दैनिक उत्पादन 1000 किलोग्राम से घटकर मात्र 250 किलोग्राम ही रह गया है। माह जूलाई व अगस्त में ज्यादा वित्तीय घाटा हुआ है। यह स्थिति पिछले 75 दिनों से बनी हुई है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को भी शिकायत दर्ज करायी गई एवं सीएम हेल्पलाईन पर भी शिकायत दर्ज करायी गई, परन्तु विभाग द्वारा कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त औद्योगिक

क्रमशः 2....

परिसर से जुड़े मऊआखेड़ागंज के फीडर की जर्जर विद्युत लाईनों का रखरखाव ठीक कराने, विद्युत तारों के सुदृढ़ीकरण और पेड़ों की छंटाई कराने एवं सम्बन्धित कार्यालय को उचित दिशा–निर्देश दिए जाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 21.08.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 31.08.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.09.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.09.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री अनिल कुमार, अवर अभियन्ता, काशीपुर के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4654 दिनांक 08.09.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त औद्योगिक विद्युत संयोजन की विद्युत सप्लाई पोषक नं0 03 (बरखेड़ा पाण्डे) पोषक से दी जाती है, जो एक ग्रामीण फीडर है, जिससे कई उपभोक्ताओं को भी सप्लाई दी जाती है। दिनांक 07.08.2026 और दिनांक 08.08.2026 में Log Sheet के अनुसार उक्त दिवसों में ग्रामीण पोषक की रोस्टिंग कन्ट्रोल द्वारा करायी गयी है। वर्तमान में परिवादी के उक्त परिसर की विद्युत आपूर्ति सुचारू है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं अवर अभियन्ता द्वारा लिखित रिपोर्ट एवं Log Sheet की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी की वर्तमान शिकायत फीडर नंबर–3 (बरखेड़ा पाण्डे) में होने वाली विद्युत कटौती के संबन्ध में है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब में अवगत कराया गया है कि उक्त विद्युत कटौती ऋषिकेश स्थिति स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) कंट्रोल द्वारा कराई गई है। एसएलडीसी कंट्रोल द्वारा विद्युत उपरोक्ताओं के व्यापक हित में ग्रिड फ्रिक्वेंशी को स्थिर बनाए रखने हेतु रोस्टिंग का निर्णय लिया जाता है। चूंकि ऐसे प्रकरणों पर सुनवाई करना अथवा निर्णय पारित करना इस मंच के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय ओम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 76/2026–27 दिनांक : 07.09.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती ममता ऋषी पत्नी श्री नरेश ऋषी, परिवादी
खेत नं0 443, ग्राम देवरिया, किच्छा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती ममता ऋषी पत्नी श्री नरेश ऋषी का एक शिकायती पत्र दिनांक 15.07.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC2G210315948 (03 किलोवाट घरेलू) पर दिनांक 24.05.2026 को पुराना विद्युत मीटर हटाकर नया स्मार्ट मीटर लगाया गया है जिसके बाद से विद्युत बिल अधिक आ रहा है। उसी माह मई में उनके द्वारा 03 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया गया है। उसके बाद भी बिल कम होने की बजाय 05 गुना अधिक आ रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर विद्युत मीटर व सोलर मीटर रीडिंग की जांच कर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 15.07.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 25.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 12.08.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 12.08.2026 व 21.08.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक–2, किच्छा के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–2041 दिनांक 21.08.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के परिसर परं स्थापित सोलर मापक की एक्सपोर्ट यूनिट का समायोजन परिवादिनी के बिल में दिया गया है, जिसमें परिवादिनी के विद्युत बिल में रू0 9056.00 का समयोजन देते हुए रू0 (–) 4875.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र सयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 134/2026–27 दिनांक : 22.09.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री तरून कुमार पुत्र श्री वी0एन0 शर्मा, परिवादी
नियर आईआईटी कालेज, ग्राम मुण्डिया पिस्तौर, दोराहा, बाजपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर।

निर्णय

परिवादी श्री तरून कुमार पुत्र श्री वी0एन0 शर्मा का एक शिकायती पत्र दिनांक 21.08.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–361D111738609 (05 किलोवाट घरेलू) जिस परिसर पर स्थापित है वहां पिछले 36 घण्टों से बिजली कटौती हो रही है यदि इस बीच बिजली आती है तो इतना अधिक उतार–चढ़ाव देखने को मिल रहा है कि स्टेबलाइजर होने के बावजूद भी सभी विद्युत उपकरण खराब होने की स्थिति में है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से उक्त समस्या को जल्द से जल्द ठीक कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, बाजपुर को अपने पत्र दिनांक 21.08.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 31.08.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 08.09.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 08.09.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से सुश्री विजयलक्ष्मी गोस्वामी, सहायक अभियन्ता (राजस्व), बाजपुर के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3729 दिनांक 31.08.2026 के

क्रमशः 2....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी परिसर पर कुछ समय के लिए ओवर वोल्टेज की समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसके उपरांत सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा परिवादी परिसर का स्थलीन निरीक्षण किया गया। अवर अभियंता की रिपोर्ट के अनुसार परिवादी की उक्त समस्या का निवारण कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप उपखण्ड अधिकारी द्वारा लिखित रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत की गई। परिवादी द्वारा इस मंच को दूरभाष पर अवगत कराया गया कि उनके परिसर में वोल्टेज की समस्या का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 79/2026–27 दिनांक : 07.09.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री लखविन्दर सिंह पुत्र श्री करम सिंह, परिवादी
ग्राम बूढ़ाफार्म, पतरामपुर, जसपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, जसपुर।

निर्णय

परिवादी श्री लखविन्दर सिंह पुत्र श्री करम सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 18.07.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–JS2PH12635935 (04 किलोवाट घरेलू) पर दिनांक 08.02.2025 को मीटर बदला गया था। मीटर बदले जाने के बाद से आज दिनांक तक बिल जारी नहीं किया गया है। मीटर रीडर हर माह आता है और एम.आर.आई. करके ले जाता है, लेकिन बिल जारी नहीं करता है। उक्त संयोजन पर सोलर पैनल भी लगा हुआ है। मीटर रीडर से जब भी बिल जारी करने के लिए कहा जाता है तो वह मीटर बदलने की बात करता है। जबकि प्रार्थी के परिसर पर स्थापित दोनों विद्युत मीटर सही कार्य कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित मीटर व नेट मीटर की वास्तविक रीडिंग की गणना करते हुए संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, जसपुर को अपने पत्र दिनांक 18.07.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 31.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 14.08.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 14.08.2026 व 22.08.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से सुश्री दिव्या पाण्डे, उपखण्ड अधिकारी (प्रथम), जसपुर के

क्रमशः 2....

तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–2117 दिनांक 21.08.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापकों की एम.आर. आई. रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 18.08.2026 को जारी विद्युत बीजक में Export Unit एवं Import Unit को समायोजित करते हुए रू0 2137.00 का संशोधित बिल जारी कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल एवं एम.आर.आई. रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 135/2026–27 दिनांक : 22.09.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती पूजा सिन्हा पत्नी श्री सुमित कुमार, परिवादी
मकान नं0 04, दरियाल रोड, प्रकाश हरमनी, काशीपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती पूजा सिन्हा पत्नी श्री सुमित कुमार का एक शिकायती पत्र दिनांक 21.08.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–372MB12117794 (03 किलोवाट घरेलू) पर स्थापित विद्युत मीटर को माह जून 2026 में स्मार्ट मीटर से बदल दिया गया है, जो बिना अनुमति के बदला गया है। वह अपने बिलों का पूर्ण भुगतान करते आ रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगने के उपरांत अभी तक कोई बिल जारी नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से उक्त स्मार्ट मीटर को सिस्टम में फीड कराते हुए संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 21.08.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 31.08.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.09.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.09.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री कुलदीप प्रजापति, खण्डीय लेखाकार, काशीपुर के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4637 दिनांक 07.09.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के परिसर पर दिनांक 27.06.2026 को स्मार्ट

क्रमशः 2....

मापक स्थापित किया गया था, जिसकी पोस्टिंग बिलिंग साफ्टवेयन में न होने के कारण बिल निर्गत नहीं हो पाए थे। वर्तमान में दिनांक 24.06.2026 से दिनांक 31.08.2026 तक की अवधि का विद्युत बिल रू0 1015.00 का बना दिया गया है। परिवादिनी द्वारा दिनांक 05.09.2026 को उक्त बिल का भुगतान भी कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 81/2026–27 दिनांक : 08.09.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री विमल कुमार पुत्र श्री विशन सिंह, परिवादी
ग्राम निवारमंडी, जसपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, जसपुर।

निर्णय

परिवादी श्री विमल कुमार पुत्र श्री विशन सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 20.07.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा अपनी आटा चक्की हेतु विद्युत संयोजन संख्या–JS0K000013986 (08 किलोवाट व्यवसायिक) लिया गया था, जो पिछले 05 वर्षों से चक्की बंद होने के कारण उपयोग में नहीं है तथा विद्युत मीटर की सप्लाई भी बन्द है, परन्तु इसके बावजूद उनके बिल जारी किए जा रहे हैं। पांच वर्ष पूर्व उनके पिता आटा चक्की का संचालन करते थे, परन्तु अचानक बीमारी के कारण कोमा में पहुंच गए। बीमार पिता के लम्बे उपचार के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है तथा उन पर काफी कर्जा भी हो गया है। उक्त संयोजन का विद्युत बिल लगभग रू0 1,45,000.00 का हो चुका है, जिसका संपूर्ण भुगतान करने में वह असमर्थ है। वर्तमान में वह जैसे–तैसे कर्ज लेकर उक्त आटा चक्की का संचालन सुचारू करना चाहता है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने पिता के नाम दर्ज उक्त संयोजन पर जारी विद्युत बिल को कम अथवा संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, जसपुर को अपने पत्र दिनांक 20.07.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 31.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक

क्रमशः 2....

14.08.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 14.08.2026 व 22.08.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से सुश्री दिव्या पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व), जसपुर के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—2141 दिनांक 21.08.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी द्वारा अपनी उक्त शिकायत के उपरांत अपने उक्त विद्युत संयोजन को स्थायी विच्छेदित कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र खण्ड कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके क्रम में खण्ड कार्यालय के पत्रांक—सी1676 दिनांक 21.08.2026 के द्वारा परिवादी का उक्त विद्युत संयोजन स्थायी विच्छेदन कर दिया गया है। स्थायी विच्छेदन के उपरांत परिवादी का कुल बकाया रू0 47403.00 है, जिसका भुगतान परिवादी द्वारा किया जाना है। साथ ही परिवादी उक्त धनराशि जमा कराने हेतु सहमत है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप स्थायी विच्छेदन से सम्बन्धित कार्यालय आदेश, स्थायी विच्छेदन सम्बन्धी परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संशोधित कंज्यूमर लेजर की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 78/2026–27 दिनांक : 23.09.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री केवल कृष्ण पुत्र श्री चानन दास,
ग्राम रामेश्वरपुर, रूद्रपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा। विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री केवल कृष्ण पुत्र श्री चानन दास का एक शिकायती पत्र दिनांक 17.07.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC6F304126221 (04 किलोवाट व्यवसायिक) जो उनकी दुकान में स्थापित था, जिसको श्रीमती वरलीन कौर पत्नी श्री अमरजीत सिंह, निवासी–ग्राम रामेश्वरपुर वालों को विक्रय कर दी थी। दुकान पर स्थापित उक्त विद्युत संयोजन को उनके द्वारा दिनांक 22.11.2018 को बन्द कराकर सम्पूर्ण बिल का भुगतान कर दिया गया था। इसके उपरांत विभागीय कर्मचारी उक्त मीटर को उखाड़कर ले गये थे। दुकान क्रेता श्रीमती वरलीन कौर द्वारा नये विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया, तो पता चला कि उक्त दुकान/परिसर पर बकाया बिल दर्शा रहा है। इसके उपरांत विभागीय कार्यालय में सम्पर्क करने पर उनको रू0 69348.00 का बकाया बिल बताया गया, जिसकी सूचना आज से पहले विभाग द्वारा नहीं दी गई और न ही कोई नोटिस जारी किया गया। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर जारी गलत विद्युत बिल को निरस्त कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 18.07.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 27.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 12.08.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 12.08.2026, 21.08.2026, 08.09.2026 व

क्रमशः 2....

21.09.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री ललित मोहन आर्य, उपखण्ड अधिकारी एवं श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक–2, किच्छा के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–2452 दिनांक 21.09.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि सम्बन्धित विभागीय कमेटी द्वारा परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन से सम्बन्धित स्थाई विच्छेदन की तिथि दिनांक 30.08.2019 निर्धारित कर, खण्ड कार्यालय के पत्रांक 2394 दिनांक 15.09.2026 के माध्यम से स्थाई विच्छेदन का कार्यालय ज्ञाप जारी कर दिया गया है। वर्तमान में परिवादी/परिसर पर कोई भी बिल बकाया नहीं है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप स्थाई विच्छेदन कार्यालय ज्ञाप, कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री एवं कंज्यूमर लेजर की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 82/2026–27 दिनांक : 08.09.2026

उपस्थितः **श्री राम सिंह नेगी**
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती ब्यूटी रानी पत्नी स्व0 श्री प्रकाश रंजन विश्वास, **परिवादी**
वार्ड नं0 03, चन्दनगढ़, दिनेशपुर, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती ब्यूटी रानी पत्नी स्व0 श्री प्रकाश रंजन विश्वास का एक शिकायती पत्र दिनांक 21.07.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके स्वर्गीय पति के नाम पर विद्युत संयोजन संख्या–RU7D207075345 (05 किलोवाट घरेलू) चला आ रहा है, जिसका वर्तमान में वह स्वयं उपयोग कर रही है। विद्युत विभाग द्वारा दिनांक 08.08.2025 से दिनांक 30.09.2025 तक विद्युत मीटर खराब होने के कारण 4881 यूनिट का रू0 38814.00 का बिल जारी किया गया, जो अत्यधिक व गलत है। इस सम्बन्ध में ऑनलाईन शिकायत करने पर विभाग द्वारा दिनांक 15.11.2025 को चैक मीटर लगाया गया तथा दिनांक 04.12.2025 को चैक मीटर फाइनल किया गया। उक्त अवधि में चैक मीटर में कुल 98 यूनिट दर्ज हुई। उक्त तिथि को ही पुराना मीटर हटाकर नया चैक मीटर लगा दिया गया, लेकिन विभाग द्वारा चैक मीटर रिपोर्ट के अनुसार बिल सही नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में रू0 76291.00 का विद्युत बिल बनाया गया है, जो गलत व अधिक है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन का बिल चैक मापक रिपोर्ट के आधार पर संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 21.07.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 31.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक

क्रमशः 2....

12.08.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 12.08.2026 व 21.08.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रकाश चन्द्र शाह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री फरमान अली, डीईओ, रूद्रपुर—2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—5930 दिनांक 21.08.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के उक्त विद्युत संयोजन पर जारी विद्युत बिल में रू0 39781.00 का समायोजन देते हुए रू0 43040.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र सयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद संः 101/2026–27 दिनांक : 23.09.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री राधेश्याम वास्ते श्री अजय कुमार,
झील कालोनी, भूरारानी, रूद्रपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2 विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री राधेश्याम की ओर से श्री अजय कुमार का एक शिकायती पत्र दिनांक 31.07.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU1K303155809 (घरेलू) पर स्थापित विद्युत मापक को उतारकर नया स्मार्ट विद्युत मापक दिनांक 29.07.2026 को स्थापित किया गया। स्मार्ट विद्युत मापक स्थापित करते समय घर पर कोई भी वरिष्ठ नागरिक उपस्थित नहीं था, उनका छोटा भाई उपस्थित था। स्मार्ट मापक स्थापित किए जाने के उपरांत जैसे ही विद्युत आपूर्ति बहाल की गई, तो घर की वायरिंग में शार्ट सर्किट हुआ और आग लग गई, जिसके परिणामस्वरूप आंतरिक विद्युत वायरिंग और फिटिंग को गम्भीर नुकसान पहुंचा। इस घटना से काफी आर्थिक नुकसान हुआ और घर की विद्युत व्यवस्था बाधित हो गई। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर घटित घटना की जांच करते हुए सम्बन्धित दोषी कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करने, उक्त घटना में हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने एवं उक्त परिसर की विद्युत सप्लाई को बहाल कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 31.07.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 07.08.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक

क्रमशः 2....

12.08.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 12.08.2026, 21.08.2026, 07.09.2026 व 21.09.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री आकाश कश्यप (एसडीसी), श्री फरमान अली, डीईओ, रूद्रपुर–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–6153 दिनांक 19.09.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया कि दिनांक 02.09.2026 को क्षेत्रीय अवर अभियन्ता द्वारा परिवादी परिसर (संयोजन संख्या–RU1K303155809) का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें परिवादी परिसर की वारिंग सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। अवर अभियन्ता की जांच रिपोर्ट एवं भारतीय विद्युत सुरक्षा मानकों (Indian Electricity Rules/Safety Standards) के आधार पर खण्ड कार्यालय की आख्या निम्नवत है:–

1. **अवर अभियन्ता की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु**
 - 1.1 **अर्थिंग न होना**– उपभोक्ता परिसर (मकान) में कोई भी घरेलू अर्थिंग (Earthing) चालू हालत में नहीं पाई गई।
 - 1.2 **MCB का अभाव**– वायरिंग जलने की घटना के दौरान परिसर में कोई भी सुरक्षात्मक उपकरण जैसे एम0सी0बी0 (Miniature Circuit Breaker) स्थापित नहीं था।
 - 1.3 **कम क्षमता की कमजोर वायरिंग**– घटना के वक्त परिसर में मात्र 1.55 एम.एम. की एल्यूमिनियम/कमजोर तार का प्रयोग किया गया था, जो कुल लोड के लिए ना काफी थी।
 - 1.4 **पुरानी वायरिंग**– परिसर में 'ग्रेट व्हाईट' कम्पनी की लगभग 10 वर्ष पुरानी और जर्जर हो चुकी वायरिंग उपयोग की जा रही थी।
 - 1.5 **वर्तमान स्थिति**– वर्तमान में उपभोक्ता द्वारा परिसर में 2.5 और 1.5 एम0एम0 की (पॉलीकैब) वायरिंग डाली गई है।
 - 1.6 **परिसर का लोड**– मौके पर 06 पंखे, 08 एलईडी बल्ब (9 वाट), 1 डीप फ्रीज, पानी की मोटर और वॉशिंग मशीन चालू अवस्था में पाई गई।
2. **विद्युत सुरक्षा मानकों (Safety Standards) के अनुसार तकनीकी राय व विभाग का पक्ष:**
 - 2.1 **आंतरिक वायरिंग उपभोक्ता का उत्तरदायित्व**– केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) और विद्युत आपूर्ति संहिता (Supply Code) के मानकों के अनुसार, मीटर के बाद की आंतरिक घरेलू वायरिंग (Internal Wiring) को सुरक्षित और सही क्षमता का रखना पूरी तरह से उपभोक्ता की जिम्मेदारी है।
 - 2.2 **सुरक्षा उपकरणों (MCB/ELCB) की अनदेखी**– नियमों के अनुसार, हर उपभोक्ता को अपने घर में ओवरलोड और शार्ट–सर्किट से बचाव के लिए सही रेटिंग की डब्ठ लगाना अनिवार्य है। सुरक्षा उपकरण (डब्ठ) न होने के कारण शॉर्ट–सर्किट होने पर बिजली स्वतः बन्द नहीं हुई, जिससे तार गर्म होकर जल गए।
 - 2.3 **अर्थिंग अनिवार्य नियम**– भारतीय विद्युत नियम के तहत परिसर में प्रभावी अर्थिंग होना कानूनी और तकनीकी रूप से अनिवार्य है। अर्थिंग न होने से लीकेज करंट या ओवरलोड की स्थिति में तारों पर सीधा दबाव पड़ता है।
 - 2.4 **स्मार्ट मीटर का कार्य**– विभाग द्वारा लगाया गया स्मार्ट मीटर पूरी तरह से सही और

क्रमशः 3....

मानक के अनुरूप कार्य कर रहा है। विद्युत आपूर्ति सुचारू होते ही यदि आंतरिक तार जले हैं, तो इसका सीधा कारण घर की पुरानी, कमजोर (1.55 एमएम) वायरिंग का अचानक आए लोड को न संभाल पाना और सुरक्षा उपकरणों का न होना है। इसमें मीटर या बाहरी विद्युत आपूर्ति का कोई दोष नहीं है।

निष्कर्ष/अनुरोध :

उपरोक्त तकनीकी तथ्यों और स्थलीय निरीक्षण से यह स्पष्ट है कि वायरिंग जलने की घटना उपभोक्ता के परिसर की आंतरिक वायरिंग के अत्यंत पुराना होने, कम क्षमता का होने तथा घर में अनिवार्य सुरक्षा उपकरण (MCB/अर्थिंग) न होने के कारण घटित हुई है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप अवर अभियन्ता की जांच रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी परिसर पर दिनांक 29.07.2026 को स्मार्ट मापक स्थापित किया गया। परिवादी द्वारा कथन किया गया है कि स्मार्ट मीटर स्थापित करने के उपरांत उनके घर में शार्ट सर्किट होने से पूरी वारिंग जल गई, जिसके एवज में उसे मुआवजा दिया जाए। विपक्षी विभाग के अवर अभियंता द्वारा दिनांक 02.09.2026 को परिवादी परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अवर अभियंता की जांच रिपोर्ट के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि परिवादी परिसर में बिजली की घरेलू वारियंग भारतीय विद्युत सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं की गई थी। वारिंग में कम क्षमता की कमजोर वायर का इस्तेमाल किया गया था, जबकि सुरक्षा की दृष्टि से अर्थिंग एमसीबी भी स्थापित नहीं की गई थी। जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि परिवादी परिसर में शार्ट सर्किट की घटना, विपक्षी विभाग की लापरवाही अथवा कमी के कारण घटित नहीं हुई थी, अपितु परिवादी परिसर में घरेलू वारिंग का कार्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप न होने के कारण घटित हुई, जिसकी कोई जवाबदेही विपक्षी विभाग पर नहीं डाली जा सकती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 98 / 2026–27 दिनांक : 08.09.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश, परिवादी
वार्ड नं0 10, राजा कालोनी, ट्रॉजिट कैम्प, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश का एक शिकायती पत्र दिनांक 25.07.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–892N160146782 (03 किलोवाट घरेलू) का उपयोग विगत कई वर्षों से किया जा रहा है। लम्बे समय से अत्यधिक रीडिंग आ रही है, जिसकी शिकायत ऑनलाईन टोल–फ्री नं0 1912 पर भी की गयी है। साथ चैक मीटर लगाने हेतु आवेदन करते हुए दिनांक 20.03.2026 को चैक मापक शुल्क जमा कराया गया। इसके उपरांत दिनांक 14.04.2026 को चैक मीटर स्थापित किया गया और दिनांक 23.05.2026 को फाइनल किया गया, जिसमें पुराना मापक तेज चलता पाया गया। पुराना मापक उतारकर नया चैक मापक स्थापित कर दिया गया। इसके उपरांत विभाग के चक्कर लगाने के उपरांत विभाग द्वारा विद्युत बिल सही किया गया, जिससे प्रार्थी संतुष्ट नहीं है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर जारी बिलों को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 25.07.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 01.08.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक

क्रमशः 2....

12.08.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 12.08.2026 व 21.08.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक, रूद्रपुर—1 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—5715 दिनांक 20.08.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का विद्युत बीजक चैक मापक की आख्या के आधार पर दिनांक 22.05.2025 से दिनांक 23.05.2026 तक का बिल संशोधित कर रू0 22546.00 का बनाया गया था, जिस पर त्रुटिवश रू0 846.00 विलम्ब अधिभार शुल्क प्रभारित किया गया था। परिवादी के माह 07/2026 तक निर्गत विद्युत बीजक में लम्बित बकाया धनराशि रू0 65510.00 में से उक्त त्रुटिपूर्ण विलम्ब अधिभार की राशि रू0 846.00 कम करने के उपरांत रू0 64664.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 103 / 2026–27 दिनांक : 23.09.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री दर्शन सिंह वास्ते श्री सुखदेव सिंह, परिवादी
ग्राम रघुलिया, पो0–सरपुरा बग्गा, खटीमा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

निर्णय

परिवादी श्री दर्शन सिंह की ओर से श्री सुखदेव सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 03.08.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KH1P111158876 (01 किलोवाट घरेलू) के कई वर्षों से गलत बिल जारी किए जा रहे हैं। इसकी शिकायत लगातार विभागीय कार्यालय में की जा रही है, परन्तु बिल की समस्या का निराकरण नहीं किया जा रहा है। विभाग की इस उदासीनता के कारण आर्थिक हानि, मानसिक तनाव एवं अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर जारी विद्युत बिलों की जांच कराकर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 03.08.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 10.08.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 13.08.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 13.08.2026, 21.08.2026, 08.09.2026 व 22.09.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक–2, खटीमा के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—1470 दिनांक 07.09.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का पुराना मापक संख्या—आरडी3300 खराब होने के उपरांत आरडीएफ के आधार पर औसत खपत के बिल निर्गत किए जा रहे थे। माह 08 / 2024 को उनका बिल सहायक अभियंता, राजस्व द्वारा सही भी किया गया। दिनांक 19.04.2025 को परिवादी का उक्त मापक बदलकर नया मापक संख्या—यू337902 स्थापित किया गया एवं दिनांक 08.11.2025 को स्मार्ट मापक संख्या—42106344 स्थापित किया गया, जिसके उपरांत मीटर में अंकित खपत के अनुसार बिल निर्गत किए जा रहे हैं। पुराना मापक संख्या—आरडी3300 खराब होने के उपरांत प्रेषित आरडीएफ बिलों को मैनुअली संशोधित करते हुए परिवादी को रू0 22928.25 का समायोजन देकर रू0 9140.75 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल की गणना एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 102/2026–27 दिनांक : 08.09.2026

उपस्थितः **श्री राम सिंह नेगी**
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री शमशाद अहमद पुत्र श्री रफीक अहमद,
नई बस्ती, जसपुर। **परिवादी**

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, जसपुर। **विपक्षी**

निर्णय

परिवादी श्री शमशाद अहमद पुत्र श्री रफीक अहमद का एक शिकायती पत्र दिनांक 03.08.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–JS1H139107779 (04 किलोवाट घरेलू) पर स्थापित विद्युत मीटर की डिस्प्ले पिछले 01 साल से नहीं आ रही थी, जिसकी शिकायत विभाग में भी की गयी, परन्तु मीटर नहीं बदला गया। जब सभी के स्मार्ट मीटर लगाये जा रहे थे तभी उनके परिसर पर स्थापित पुराने मीटर को उताकर नया स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया था, जिस दौरान पुराने मीटर को ठोकने पर उसमें रीडिंग 5888 प्रदर्शित हो गई, सीलिंग रिपोर्ट में दर्ज की गयी है। उसके उपरांत परिवादी को कुल रीडिंग का एकमुश्त बिल रू0 50000.00 के आस–पास बनाया गया, जो बहुत अधिक व गलत है। मीटर रीडर द्वारा बताया कि डिस्प्ले खराब होने पर आईडीएफ के बिल जारी किए जा रहे थे। जबकि वह अपने बिलों का भुगतान नियमित रूप से करता रहा है। फिर भी इतनी अधिक रीडिंग का बिल जारी किया गया है, जो गलत है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर जारी बिलों की जांच करते हुए संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, जसपुर को अपने पत्र दिनांक 03.08.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 10.08.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक

क्रमशः 2....

14.08.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 14.08.2026 व 22.08.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से सुश्री दिव्या पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व), जसपुर के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–2118 दिनांक 21.08.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त परिसर पर स्थापित पुराने मीटर संख्या–यू984262 को दिनांक 20.04.2026 को बदलकर नया स्मार्ट मीटर संख्या–12109975 स्थापित किया गया है। परिवादी के पुराने मापक में अंतिम रीडिंग 8544 थी तथा विद्युत बिल 3412 रीडिंग तक निर्गत किया गया है। जिस कारण पुराने मापक की शेष रीडिंग 5132 यूनिट एवं नये मापक की रीडिंग 756 यूनिट सहित कुल रीडिंग 5888 यूनिट का बिल रू0 49893.00 का बनाया गया था। परिवादी का विद्युत बिल आईडीएफ में होने के कारण संशोधित किया गया जिसमें परिवादी का कुल बिल रू0 44651.00 का बना। विद्युत बिल संशोधन किए जाने पर सीसीबीआर के माध्यम से परिवादी को कुल रू0 21555.00 का समायोजन देने के उपरांत परिवादी का कुल बकाया रू0 28338.00 बना है। माननीय मंच के समक्ष सुनवाई के दौरान जारी निर्देशानुसार परिवादी के विद्युत बिल में पुनः संशोधन करते हुए औसत खपत के आधार पर रू0 10646.00 का समायोजन दिया गया, जिसके उपरांत परिवादी का दिनांक 06.06.2026 तक कुल बकाया रू0 17692.00 का बना। साथ नये स्मार्ट मापक द्वारा दिनांक 06.07.2026 को निर्गत विद्युत बिल रू0 5607.00 तथा दिनांक 07.08.2026 को निर्गत बिल रू0 5130.00 भी भुगतान हेतु लम्बित है। इस प्रकार परिवादी पर दिनांक 07.08.2026 तक का कुल रू0 28429.00 का विद्युत बिल भुगतान हेतु लंबित है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र त्यागी)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 104 / 2026–27 दिनांक : 08.09.2026

उपस्थितः **श्री राम सिंह नेगी**
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती मोनिका गाबा पत्नी श्री मोहित कुमार, परिवादी
वार्ड नं0 06, आवास विकास, गदरपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती मोनिका गाबा पत्नी श्री मोहित कुमार का एक शिकायती पत्र दिनांक 03.08.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU2C324190500 (04 किलोवाट घरेलू) पर स्थापित विद्युत मीटर तेज चल रहा था, जिसके लिए उनके द्वारा चैक मीटर लगवाया गया था। चैक मीटर रिपोर्ट के आधार पर पुराना मीटर तेज चलता पाया गया। विभाग द्वारा मीटर तो बदल दिया गया, परन्तु विद्युत बिल सही नहीं किया गया। विभाग द्वारा 08 लाख का बिल बनाया गया है, जिस लगातार ब्याज लगाया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर जारी बिलों की जांच कर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 03.08.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 10.08.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 12.08.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 12.08.2026 व 21.08.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रकाश चन्द्र शाह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री फरमान अली, डीईओ, रूद्रपुर–2 के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–5928 दिनांक 21.08.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी को जारी त्रुटिपूर्ण विद्युत बीजक रू0 879353.00 व उसमें जोड़ी गई ब्याज राशि रू0 10920.00 का समायोजन करते हुए रू0 42756.00 संशोधित बिल का बना दिया गया है। जिसका भुगतान भी परिवादिनी द्वारा दिनांक 15.08.2026 को कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र भयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 113/2026–27 दिनांक : 23.09.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री मोहन लाल पुत्र श्री बूलामल, परिवादी
रवि फूटवियर पंत मार्केट, किच्छा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादी श्री मोहन लाल पुत्र श्री बूलामल का एक शिकायती पत्र दिनांक 11.08.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC6G403192686 (04 किलोवाट व्यवसायिक) पर जारी विद्युत बिलों का भुगतान वह नियमित रूप से करता रहा है। विभाग द्वारा दिनांक 27.07.2026 को जारी बिल में रू0 16601.70 एडजस्टमेंट के रूप में जोड़ा गया है, जो कि गलत है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत बिल में एडजस्टमेंट के रूप में जोड़ी गई धनराशि रू0 16601.70 को हटाते हुए संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 11.08.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 22.08.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 08.09.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 08.09.2026 व 21.09.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री विवेक उपाध्याय, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक–2, किच्छा के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–2063 दिनांक 21.08.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि विभागीय ऑडिट द्वारा अपने रफ नोट–11 के माध्यम से "परिवादी के स्वीकृत भार 04 किलोवाट को गलत तरीके से आरटीएस–2 के अन्तर्गत 1.2(b) के स्थान पर 1.1(a) (STN-22/CHARITABLE INSTITUTIONS (INCOME TAX EXEMPTED) UPTO 25 KW)

क्रमशः 2....

गलत टैरिफ के कारण ऊर्जा शुल्क और फिक्सड चार्ज में अन्तर पाया गया", का उल्लेख किया गया है, जिसके आधार परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन के लेजर में रू0 16601.70 को जोड़ा गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप ऑडिट की छायाप्रति, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में इस मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया। परिवादी द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षी विभाग ने दिनांक 27.07.2026 को जारी उनके बिल में एडजस्टमेंट के रूप में रू0 16601.70 अतिरिक्त जोड़ा है, जो कि गलत है, जबकि विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब में आंतरिक संप्रेक्षा (ऑडिट) के रफ नोट–11 का तर्क देते हुए उक्त बिल को सही एवं नियमानुसार बताया है। उभय पक्षों के तर्क सुनने के उपरांत इस मंच द्वारा आंतरिक संप्रेक्षा के रफ नोट–11 के बिन्दु–9 का अध्ययन किया गया, जोकि निम्नवत है....

"संयोजन संख्या–KC6G403192686, श्री मोहन लाल, पता–पंत मार्केट, वार्ड नं0 02, किच्छा स्वीकृत भार को 4.00 कि0वा0 को गलत तरीके से आरटीएस–2 के अन्तर्गत 1.2(b) के स्थान पर 1.1(a) (STN-22/CHARITABLE INSTITUTIONS (INCOME TAX EXEMPTED) UPTO 25 KW) गलत टैरिफ श्रेणी कारण ऊर्जा शुल्क और फिक्सड चार्ज में अंतर पाया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है:–

Period	Consum-ption (Unit Kvah)	STN-22 Rate	STN-20 Rate	Unit Rate Diff. (KVAH)	Amount (A)	Fixed Ch. Rate RTS-22	Fixed Ch. Rate RTS-20	Fixed Ch. Diff.	Month	Load (KW)	Amount (B)	Total Amount (A+B)
01.04.2023-31.03.2024	3713	5.4	6.7	1.3	4826.90	80.00	95.00	15.00	12	4	720.00	5546.90
01.04.2024-31.03.2025	1737	5.7	7.35	1.65	2865.05	90.00	110.00	20.00	12	4	960.00	3826.05
01.04.2025-31.03.2026	3008	6.00	7.75	1.75	5264.00	90.00	110.00	20.00	12	4	960.00	6224.00
01.04.2026-30.06.2026	437	6.00	7.75	1.75	764.75	90.00	110.00	20.00	03	4	240.00	1004.75
Total-												16601.70

अतः खण्ड से अपेक्षा है कि उक्त संयोजन की नियमानुसार जांच एवं तद्नुसार कार्यवाही अपेक्षित है, एवं बकाया अन्तर की धनराशि रू0 16602.00 को जमा किये जाने के साक्ष्यों साहित खण्ड की टिप्पणी विशेष सम्प्रेक्षा को अपेक्षित रहेगी।"

विभागीय आंतरिक संप्रेक्षा के रफ नोट–11 के उपरोक्त बिन्दु–9 के अध्ययन से स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के संयोजन के बिल गलत श्रेणी के टैरिफ के अंतर्गत बनाए जा रहे थे, जोकि गलत एवं नियमविरूद्ध है। विपक्षी विभाग द्वारा आंतरिक संप्रेक्षा का रफ नोट प्राप्त होने के उपरांत दिनांक 27.07.2026 को जारी बिल में अपनी इस गलती को सुधारते हुए परिवादी की बिलिंग वास्तविक टैरिफ श्रेणी आरटीएस–2 के 1.2(b) की गई तथा उपरोक्त गलती के कारण ऊर्जा शुल्क और फिक्सड चार्ज में आएं रू0 16601.70 अंतर को इस बिल में जोड़ा गया, जोकि सही एवं नियमानुकूल है तथा उक्त बिल पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत

क्रमशः 3....

स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 110/2026–27 दिनांक : 08.09.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री पंकज कुमार, परिवादी
महेन्द्र पम्प के निकट, गदरपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री पंकज कुमार का एक शिकायती पत्र दिनांक 06.08.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU6C308213555 (01 किलोवाट व्यवसायिक) पर स्थापित विद्युत मीटर को बदला गया था, मीटर बदलने के उपरांत विभाग द्वारा परिवादी को 01 माह की अवधि हेतु रू0 283713.00 का बिल जारी किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर जारी बिल की जांच कराकर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 06.08.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 14.08.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 21.08.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 21.08.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री फरमान अली, डीईओ, गदरपुर के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–5929 दिनांक 21.08.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी को जारी त्रुटिपूर्ण विद्युत बीजक रू0 282331.00 में संशोधन किए जाने के उपरांत परिवादी का रू0 1382.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है।

क्रमशः 2....

विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 116/2026–27 दिनांक : 23.09.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती दीपानिता बैरागी पत्नी श्री विपुल बैरागी, परिवादी
ग्राम कालीनगर, विजयनगर, तहसील गदरपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती दीपानिता बैरागी पत्नी श्री विपुल बैरागी का एक शिकायती पत्र दिनांक 11.08.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU1D117804034 (01 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल अधिक आ रहा है। स्मार्ट मीटर के कारण अनियंत्रित, काल्पनिक एवं अत्यधिक बिलिंग हो रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित स्मार्ट विद्युत मीटर को हटवाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 11.08.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 22.08.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 07.09.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 07.09.2026 व 21.09.2026 को परिवादिनी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री फरमान अली, डीईओ, रूद्रपुर–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–6054 दिनांक 07.09.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी का विद्युत संयोजन दिनांक 23.07.2025 को निर्गत किया गया था। परिवादिनी का विद्युत बिल रू0 8040.34 का बनाया गया है, जो स्मार्ट मीटर द्वारा ऑनलाईन जारी किया गया है तथा स्मार्ट मीटर लगने की योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है, जिसके अन्तर्गत मीटर को हटाना सम्भव नहीं है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

क्रमशः 2....

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को लगातार मीटर में अंकित खपत के आधार पर बिल प्रेषित किया जा रहा है, जोकि सही एवं नियमानुकूल है तथा उक्त बिलों पर परिवादिनी की देयता बनती है। यदि परिवादिनी को अपने मीटर पर कोई आपत्ति है, तो वह अपने मीटर की जांच हेतु चैक मापक शुल्क जमा करते हुए नियमानुसार आवेदन कर सकती हैं। चूंकि विद्युत उपभोक्ताओं के संयोजनों पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के आदेशानुसार स्मार्ट मापक स्थापित किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं। अतः स्मार्ट मापक हटवाने संबन्धी परिवादिनी की शिकायत भी स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 120/2026–27 दिनांक : 23.09.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री मौहम्मद तफसीर पुत्र श्री अब्दुल अनीस, परिवादी
वार्ड नं0 04, इस्लामनगर, सितारगंज।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज।

निर्णय

परिवादी श्री मौहम्मद तफसीर पुत्र श्री अब्दुल अनीस का एक शिकायती पत्र दिनांक 13.08.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–882H146061693 (03 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल सामान्य खपत से अधिक आया है, जिसका भुगतान करने में वह असमर्थ है। उन्हें आशंका है कि विद्युत बिल में रीडिंग या गणना में कोई त्रुटि के कारण इतना अधिक बिल बना है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर जारी विद्युत बिल की जांच कराकर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, सितारगंज को अपने पत्र दिनांक 13.08.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 22.08.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 08.09.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 08.09.2026 व 22.09.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री हर्षित जेयसवाल, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री राजेन्द्र पाठक, उपखण्ड अधिकारी (प्रथम), सितारगंज के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–2960 दिनांक 07.09.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी को परिसर पर स्थापित मापक रीडिंग के आधार पर ही बिल जारी किए जा रहे हैं। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

क्रमशः 2....

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी के परिसर पर दिनांक 16.11.2023 को आईडीएफ मीटर बदला गया था, जिसके बाद से परिवादी को लगातार मीटर यूनिट के आधार पर बिल जारी किए जा रहे हैं। इस दौरान परिवादी के Consumption पैटर्न में कोई अप्रत्याशित बदलाव देखने को नहीं मिला है और ना ही परिवादी द्वारा विद्युत मीटर पर कोई आपत्ति की गई है। चूंकि अविवादित मीटर में अंकित खपत के आधार पर प्रेषित बिल पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 284 / 2025–26 दिनांक : 21.09.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी,
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 कुमाऊं इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, परिवादी
प्लाट नं0 डी80, फेज–2, ईएसआईपी, सितारगंज।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज।

निर्णय

परिवादी मै0 कुमाऊं इस्पात प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्री आर0सी0 बिन्जौला का एक शिकायती पत्र दिनांक 16.03.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि विद्युत विभाग द्वारा उनके विद्युत संयोजन संख्या–880K000025633 (950 केवीए औद्योगिक) के माह जनवरी 2026 के बिल में गलत एमएफ के एवज में रू0 30,62,873.00 की अतिरिक्त निर्धारण राशि जोड़ी गई है। विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या–571 दिनांक 16.02.2026 के माध्यम से उनको उक्त अतिरिक्त निर्धारण की जानकारी दी गई। उनके द्वारा अपने उक्त संयोजन के विद्युत बिलों का संयोजन निर्गत होने के बाद से नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। विभाग द्वारा दिनांक 13.02.2026 के बिल में रू0 47,09,228.14 बकाया दिखाया गया है, परन्तु उसका स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है। विभागीय कार्यालय में भी उनको इस संबन्ध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। विभाग का कहना है कि यह पूरा विवाद दिनांक 27.04.2025 को नया स्मार्ट मीटर स्थापित करने के बाद से उत्पन्न हुआ है और उसकी शिकायत का संज्ञान लिए बगैर बकाया बिल जमा करने हेतु दबाव बनाया जा रहा है। संयोजन विच्छेदित करने की चेतावनी दी जा रही है। विभाग द्वारा निर्गत विवादित बिल एवं नोटिस गलत व नियमविरूद्ध हैं तथा इनको निरस्त किया जाना चाहिए। उनका मीटर सही ढंग से काम कर रहा था तथा उनके द्वारा भी मीटर में कभी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। मीटर बदलने के वक्त भी सीलिंग प्रमाण पत्र पर उनके हस्ताक्षर नहीं

क्रमशः 2....

हैं। सीलिंग पर सीटी या पीटी अनुपात का कोई उल्लेख भी नहीं है। ऐसे में एम0एफ0 की गणना 12000 कैसे की गई है। विभाग द्वारा जो भी बिल विद्युत खपत के आधार पर जारी किए गये है उनका भुगतान विधिवत किया जा चुका है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से माह 01/26 के विवादित बिल में जोड़ी गई निर्धारण राशि को निरस्त करने एवं उनका बिल संशोधित करवाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, सितारगंज को अपने पत्र दिनांक 16.03.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 23.03.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 23.03.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 23.03.2026, 09.04.2026, 23.04.2026, 05.05.2026, 21.05.2026, 11.06.2026, 29.06.2026, 10.07.2026, 22.07.2026, 13.08.2026, 21.08.2026, 22.08.2026, 08.09.2026 व 09.09.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री ऋषभ कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व), श्री के0के0 पंत, अधिशासी अभियन्ता, श्री उमाकांत चतुर्वेदी, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, रूद्रपुर, श्री राजीव कुमार सहायक अभियन्ता (मापक), सितारगंज एवं श्री हर्षित जेयसवाल, सहायक अभियंता (राजस्व), सितारगंज के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस मंच को अवगत कराया गया कि परिवादी के दिनांक 13.01.2026 के बिल में रू0 3062873.14 की अतिरिक्त निर्धारण राशि जोड़ी गई। परिवादी का पत्र दिनांक 10.10.2026 प्राप्त होने पर विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या—571 दिनांक 16.02.2026 के द्वारा अतिरिक्त निर्धारण के बारे में संपूर्ण जानकारी परिवादी को उपलब्ध करा दी गई थी। पत्र में स्पष्ट अवगत कराया गया है कि विभागीय पोर्टल पर परिवादी के संयोजन का सप्लाई वोल्टेज 33 के0वी0 के स्थान पर 11 के0वी0 अंकित हो गया था, जबकि परिवादी के संयोजन का विद्युत भार 950 केवीए है तथा इतने अधिक विद्युत भार वाले संयोजन हमेशा 33 के0वी0 विद्युत लाईन से ही निर्गत किए जाते हैं। परिवादी के बिल में वास्तविक तथ्यों एवं नियमों के अनुसार ही निर्धारण राशि जोड़ी गई है। परिवादी की खपत के पैटर्न से भी स्पष्ट होता है कि निर्धारण अवधि के दौरान उनकी खपत सामान्य अवधि की औसत खपत से कम दर्ज हुई है। बिल में उक्त निर्धारण राशि जुड़ने से पूर्व परिवादी द्वारा अपने विद्युत बिलों का नियमित रूप से भुगतान नहीं किया जा रहा था। कंज्यूमर लेजर के अनुसार परिवादी पर रू0 16,46,354.08 के बिलों का भुगतान लंबित है। उनके द्वारा इससे पूर्व दिनांक 31.08.2024 को ही अपने संपूर्ण बिल का भुगतान किया गया था। इन परिस्थितियों में विभाग को उनकी विद्युत आपूर्ति विच्छेदित करने का पूर्ण अधिकार है।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—3018 दिनांक 10.09.2026 के द्वारा अवगत कराया है कि परिवादी मैसर्स कुमाऊँ इस्पात प्राईवेट लिमिटेड एक स्वतंत्र पोषक पर ऊर्जीकृत है। अतः परिवादी के संयोजन पर पूर्व से चैक मापक स्थापित है। एक वर्ष का चैक मापक तुलनात्मक विवरण माननीय मंच के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो इस पत्र के साथ संलग्न है। मापक बदलनें का कारण के संदर्भ में अवगत कराया कि माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा नया टैरिफ, नये TOD मानकों के साथ लागू किया गया एवं उक्त आदेश के क्रम में ही (AIMSP) द्वारा पुराने मापक को बदल कर नये TOD Configuration के स्थापना का कार्य प्रचलन में

क्रमशः 3....

था, जिसके बाद ही परिवादी मै0 कुमाऊँ इस्पात प्रा0 लि0 के संयोजन पर नये TOD Configuration का मापक लगाने का कार्य किया गया। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर बिलिंग हिस्टी, निर्धारण गणना का विवरण, सीलिंग प्रमाण पत्र आदि की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई।

समीक्षा

प्रस्तुत प्रकरण में इस मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया। परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 13.01.2026 के विद्युत बिल में जोड़ी गई रू0 30,62,873.14 की अतिरिक्त निर्धारण राशि को नियमविरूद्ध बताते हुए उसे निरस्त करने की प्रार्थना की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 16.02.2026 को प्रेषित पत्र संख्या—571 के द्वारा परिवादी को स्पष्ट सूचित किया गया कि उनके परिसर पर सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या—00232/022 दिनांक 27.04.2025 के द्वारा स्मार्ट मापक स्थापित किया गया था। मापक परिवर्तन के उपरांत उक्त संयोजन का एम0एफ0 (Multiplying Factor) सीलिंग प्रमाण पत्र के अनुसार 12000 है तथा संयोजन 33 के0वी0 विद्युत सप्लाई से ऊर्जीकत है, परन्तु विभागीय पोर्टल पर त्रुटिवश वोल्टेज सप्लाई 11 के0वी0 अंकित होने के कारण उसका एम0एफ0 12000 के स्थान पर 4000 हो गया था। इसके उपरांत उनको समस्त बिल 4000 एम0एफ0 के अनुसार निर्गत हुए हैं, जोकि पूर्णतः गलत हैं। दिनांक 06.01.2026 को विभागीय पोर्टल पर उनके संयोजन का एम0एफ0 सीलिंग प्रमाण पत्र के अनुसार 12000 अद्यतन किया गया तथा स्मार्ट मीटर स्थापित होने की तिथि 27.04.2025 से माह दिसंबर 2025 तक के समस्त बिलों को वास्तविक एम0एफ0 12000 के अनुसार संशोधित करते हुए दिनांक 13.01.2026 के विद्युत बिल में रू0 30,62,873.14 की निर्धारण राशि जोड़ी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या—00232/022, जिस पर परिवादी के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं, अतिरिक्त निर्धारण की गणना एवं कंज्यूमर हिस्ट्री से उक्त तथ्यों की पुष्टि होती है। चूंकि परिवादी के बिल में रू0 30,62,873.14 का अतिरिक्त निर्धारण वास्तविक तथ्यों के आधार पर नियमानुसार जोड़ा गया है, जिस पर परिवादी की देयता बनती है। अतः उक्त अतिरिक्त निर्धारण राशि को निरस्त करने की परिवादी की शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

पत्रावली पर मौजूद रसीद संख्या—18/आई048899 के अनुसार परिवादी द्वारा अपने संयोजन पर स्थापित मापक के परीक्षण हेतु दिनांक 12.05.2026 को चैक मापक शुल्क रू0 2500.00 जमा कराए गए थे, जिसके उपरांत अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज द्वारा अपने पत्र संख्या—1463 दिनांक 12.05.2026 के द्वारा सहायक अभियंता मापक को परिवादी परिसर पर चैक मापक स्थापित करने के निर्देश दिए गए, परन्तु विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी परिसर पर चैक मापक स्थापित करने से पूर्व ही दिनांक 31.05.2026 को उसका मापक परिवर्तित कर दिया गया, जिससे परिवादी अपने संयोजन पर लगे मीटर का परीक्षण करवाने के अपने अधिकार से वंचित रह गया। विपक्षी विभाग का तर्क है कि माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा नया टैरिफ नये TOD मानकों के साथ लागू किया गया। उक्त क्रम में ही (AIMSP) द्वारा पुराने मापकों को बदल कर नये TOD Configuration के स्थापना का प्रचलन में था। इसके अंतर्गत ही परिवादी के संयोजन पर नये TOD Configuration का मापक लगाने का कार्य किया गया, जिसके कारण पुराने मापक की जांच हेतु चैक मापक स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं रह गया था। इस मंच का मत है कि नये TOD

क्रमशः 4....

Configuration का मापक लगाने का यह कार्य विपक्षी विभाग द्वारा माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार किया गया, इसलिए विपक्षी विभाग का यह तर्क सही एवं स्वीकार करने योग्य है। साथ ही, परिवादी का संयोजन एक स्वतंत्र पोषक पर ऊर्जीकृत है, जिसके Source End (बिजली घर) पर पूर्व से ही चैक मापक स्थापित है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के प्रश्नगत मापक एवं Source End पर स्थापित चैक मापक का विगत एक वर्ष का तुलात्मक विवरण इस मंच के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त तुलात्मक विवरण से यह पुष्टि होती है कि परिवादी का प्रश्नगत मापक सही था। चूंकि परिवादी द्वारा चैक मापक शुल्क रू0 2500.00 का भुगतान किए जाने के बावजूद उसके मीटर की जांच नहीं हो पाई। अतः इस मंच का यह भी स्पष्ट मत है कि मीटर की जांच हेतु परिवादी द्वारा जमा चैक मापक शुल्क रू0 2500.00 उसे वापस किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अंशतः स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी द्वारा अपने मीटर की जांच हेतु जमा किए गए चैक मापक शुल्क रू0 2500.00 तत्काल उसे वापस करें अथवा उसके आगामी बिल में समायोजित करें। विपक्षी विभाग इस आदेश की अनुपालन आख्या 30 दिन के भीतर इस मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय ओम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र भंयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 121/2026–27 दिनांक : 23.09.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री मौहम्मद फैजान पुत्र श्री अब्दुल अनीस, परिवादी
वार्ड नं0 04, इस्लामनगर, सितारगंज।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज।

निर्णय

परिवादी श्री मौहम्मद फैजान पुत्र श्री अब्दुल अनीस का एक शिकायती पत्र दिनांक 13.08.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–886H101011741 (01 किलोवाट व्यवसायिक) जो श्री सुल्तान अहमद के नाम दर्ज है, उनकी चाय की दुकान पर लगा हुआ है। पिछले कुछ महीनों से बहुत अधिक बिल आ रहा है, जिसका भुगतान करने में वह असमर्थ है। उन्हें आशंका है कि विद्युत बिल में रीडिंग या गणना में कोई त्रुटि के कारण इतना अधिक बिल आ रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर जारी विद्युत बिल की जांच कराकर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, सितारगंज को अपने पत्र दिनांक 13.08.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 22.08.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 08.09.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 08.09.2026 व 22.09.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री हर्षित जेयसवाल, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद पाठक, उपखण्ड अधिकारी, सितारगंज के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी (प्रथम), सितारगंज ने अपने पत्र संख्या–617 दिनांक 15.09.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का विद्युत मापक माह 12/2020 से 01/2026 तक आईडीएफ रहा, जिसमें परिवादी को कम–कम यूनिट के बिल जारी किए जाते रहे।

क्रमशः 2....

साथ ही परिवादी द्वारा 01/2026 को अंतिम बिल का भुगतान किया गया है। परिवादी का उक्त विद्युत संयोजन 01 किलोवाट भार में स्वीकृत है, जबकि उसकी विद्युत खपत मांग 04 किलोवाट आ रही है। परिवादी का माह 01/2026 को पुराना मापक उतारकर नया स्मार्ट मापक स्थापित किया गया है, जिसके उपरांत परिवादी को मीटर यूनिट के आधार पर वास्तविक बिल प्रेषित किए जा रहे हैं। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी को माह 12/2020 से माह 01/2026 तक आईडीएफ के बिल प्रेषित किए गये हैं। दिनांक 22.01.2026 को परिवादी का पुराना आईडीएफ मापक बदलकर नया स्मार्ट मापक स्थापित किया गया, जिसके उपरांत परिवादी को लगातार मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के आधार पर बिल प्रेषित किए जा रहे हैं। परिवादी द्वारा विद्युत मापक पर कोई आपत्ति भी नहीं की गई है, चूंकि अविवादित मापक में अंकित खपत के आधार पर प्रेषित बिलों पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 69/2026–27 दिनांक : 21.09.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री जानकी प्रसाद पुत्र श्री केदार नाथ, परिवादी
वास्ते श्री अमित गंगवार, वार्ड नं0 02, राजा कालोनी, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी श्री जानकी प्रसाद पुत्र श्री केदार नाथ की ओर से श्री अमित गंगवार का एक शिकायती पत्र दिनांक 08.07.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–892B160189435 (01 किलोवाट घरेलू) जिस परिसर में स्थापित है वहां 02 माह पूर्व ही विद्युत फिटिंग की गयी है। पिछले वर्ष गर्मियों में उनका विद्युत बिल रू0 1500.00 तक का आता था। लेकिन इस वर्ष गर्मियों में बिना किसी अतिरिक्त उपकरण के असामान्य वृद्धि हुई है। वायरिंग और मापक दोनों नए है फिर भी बिल अधिक आ रहा है। उन्हें संदेह है कि मीटर के "कैलिब्रेशन" या "डेटा ट्रांसमिशन" में कोई तकनीकी खराबी के कारण ऐसा हो रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित स्मार्ट मीटर की जांच कराते हुए संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 08.07.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 18.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 22.07.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 22.07.2026, 12.08.2026, 22.08.2026 व 07.09.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक, रूद्रपुर–1 के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—5946 दिनांक 03.09.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का विद्युत बीजक दिनांक 31.07.2026 को मीटर में दर्ज यूनिट 982 केडब्लूएच के आधार पर निर्गत किया गया है। परिवादी की शिकायत के आधार पर दिनांक 11.08.2026 को चैक मापक का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया तथा परिवादी को चैक मापक शुल्क रू0 100.00 का भुगतान करने हेतु उनके रजिस्टर्ड मोबाईल फोन—9720282489 पर एस0एम0एस0 द्वारा सूचना भेज दी गई है। मा0 मंच के निर्देशानुसार दिनांक 21.08.2026 को परिवादी को ई—मेल द्वारा भी भुगतान करने हेतु सूचित कर दिया गया है, परन्तु वर्तमान तक भी परिवादी द्वारा चैक मापक शुल्क जमा नहीं कराने के कारण उनके परिसर पर चैक मापक स्थापित नहीं किया जा सका। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप परिवादी को सूचनार्थ प्रेषित ई—मेल प्रति एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को संयोजन निर्गत होने की तिथि 25.08.2010 से लगातार मीटर में दर्ज रीडिंग के अनुसार बिल निर्गत किए जाते रहे हैं। कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी विभाग द्वारा माह 04/2026 में परिवादी का पुराना मीटर हटाकर नया स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया, जिसके उपरांत उक्त नए स्मार्ट मापक में दर्ज रीडिंग के आधार पर ही बिल निर्गत किए जा रहे हैं। चूंकि वर्तमान में उक्त मापक अविवादित है तथा अविवादित मापक में दर्ज रीडिंग के आधार पर निर्गत बिलों पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है। परिवादी द्वारा अपनी इस शिकायत में उक्त मीटर की जांच करवाने का अनुरोध किया गया है, परन्तु मीटर की जांच हेतु वर्तमान तक नियमानुसार चैक मापक शुल्क जमा नहीं किया गया है। विपक्षी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी से चैक मापक शुल्क प्राप्त होने के उपरांत उसके मीटर की जांच कर चैक मापक रिपोर्ट के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करें।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय ओम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 122/2026–27 दिनांक : 23.09.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री सतेन्द्र सिंह, परिवादी
डिवाइन पार्क, गली नं0 02, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री सतेन्द्र सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 14.08.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU1K313799983 (02 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल सही आ रहा था, जिसका वह भुगतान करते आ रहे थे, लेकिन जबसे विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाया गया है तभी से विद्युत अधिक आ रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित स्मार्ट मीटर की जांच कराकर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 14.08.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 22.08.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 07.09.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 07.09.2026 व 21.09.2026 को परिवादिनी के पति श्री सतेन्द्र सिंह के तथा विपक्षी की ओर से श्री फरमान अली (डीईओ) एवं श्री आकाश कश्यप (एसडीसी), वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–6152 दिनांक 16.09.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के बिलिंग विवरण की जांच करने पर प्रतीत होता है कि परिवादिनी के विद्युत बिल में कोई भी त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। परिवादिनी का नया मापक दिनांक 08.08.2026 को बदला गया जिसमें दिनांक 31.08.2026 तक का कुल उपभोग 125 यूनिट है, जो कि पिछले उपभोग की तुलना में सही प्रतीत होता है। परिवादिनी के नये मापक बदलने से पूर्व

क्रमशः 2....

दिनांक 12.07.2026 को बिल निर्गत किया गया था तथा दिनांक 08.08.2026 तक पुराने मापक पर कुल 148 यूनिट दर्ज पायी गयी, जिस कारण नये मापक से बने हुए बिल लगभग 45 दिन की अवधि में बिल्ड यूनिट 273 (125+148) पायी गयी है। सम्भवतः इसी कारण परिवादिनी को अपना विद्युत बिल अधिक प्रतीत हो रहा है। इसके अतिरिक्त परिवादिनी उपखण्ड कार्यालय में आवेदन उपरांत अपने मापक की जांच करा सकती है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी के संयोजन पर दिनांक 08.08.2026 को स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया, मीटर बदलते समय परिवादिनी के पुराने मापक में 148 यूनिट अवशेष रीडिंग पाई गयी जिसे विपक्षी विभाग द्वारा नियमानुसार अगले बिल में जोड़ा गया। स्मार्ट मीटर लगने के उपरांत 45 दिन की अवधि में 125 यूनिट की खपत दर्ज हुई है जोकि परिवादिनी के पिछले Consumption पैटर्न के अनुरूप है। चूंकि स्मार्ट मीटर स्थापित होने के बाद भी परिवादिनी की विद्युत खपत में कोई अप्रत्याशित बदलाव/वृद्धि देखने को नहीं मिली है, इसलिए प्रथम दृष्टया संयोजन पर वर्तमान में स्थापित स्मार्ट मीटर की जांच कराने का भी कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा है। चूंकि विपक्षी विभाग द्वारा उक्त प्रश्नगत बिल मीटर रीडिंग के आधार पर प्रेषित किया गया है, जिसकी देयता परिवादिनी पर बनती है। अतः परिवादिनी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 85 / 2026–27 दिनांक : 21.09.2026

उपस्थितः **श्री राम सिंह नेगी**
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सीता राम पुत्र श्री भागीरथ प्रसाद, परिवादी
विनसर विला डी–5, छतरपुर, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी श्री सीता राम पुत्र श्री भागीरथ प्रसाद का एक शिकायती पत्र दिनांक 22.07.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–8922306203744 (04 किलोवाट घरेलू) जिस परिसर पर स्थापित है वह पिछले 02 महीनों से बन्द है। इसके बावजूद भी विद्युत बिल अधिक आ रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत संयोजन के बिल वास्तविक खपत के आधार पर निर्गत कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 22.07.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 31.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 12.08.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 12.08.2026, 21.08.2026 व 07.09.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक, रूद्रपुर–1 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–5943 दिनांक 03.09.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के बिल दिनांक 21.07.2026 को उसके मापक में

क्रमशः 2....

दर्ज यूनिट 10871 केडब्लूएच के आधार पर निर्गत किया गया है। परिवादी की शिकायत के आधार पर मीटर की जांच हेतु चैक मापक का रजिस्ट्रेशन भी दिनांक 11.08.2026 को कर दिया गया है। साथ ही परिवादी को चैक मापक शुल्क रू0 100.00 के भुगतान हेतु बिलिंग प्रणाली में दर्ज रजिस्टर्ड मोबाईल न0 7906959051 पर एस0एम0एस0 द्वारा सूचना उपलब्ध करा दी गयी है। मा0 मंच के निर्देशानुसार परिवादी को दिनांक 21.08.2026 को ई—मेल द्वारा भी भुगतान हेतु सूचित कर दिया गया है, परन्तु परिवादी द्वारा वर्तमान तक चैक मापक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण नियमानुसार उनके परिसर में चैक मापक स्थापित किया जाना संभव नहीं है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप परिवादी को सूचनार्थ प्रेषित ई—मेल प्रति एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को लगातार मीटर में दर्ज रीडिंग के अनुसार बिल निर्गत किए जा रहे हैं। चूंकि अविवादित मापक में दर्ज रीडिंग के आधार पर निर्गत बिलों पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के मीटर की जांच हेतु चैक मापक का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है, परन्तु परिवादी द्वारा मीटर की जांच हेतु वर्तमान तक नियमानुसार चैक मापक शुल्क जमा नहीं किया गया है। विपक्षी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी से चैक मापक शुल्क प्राप्त होने के उपरांत उसके मीटर की जांच कर चैक मापक रिपोर्ट के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करें।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 123/2026–27 दिनांक : 23.09.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री परमेश्वरी मंडवा,
अम्बिका विहार, भूरारानी, रूद्रपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2 विपक्षी

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री परमेश्वरी मंडवा का एक शिकायती पत्र दिनांक 17.08.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU1K321538217 (02 किलोवाट घरेलू) पर दिनांक 29.07.2026 को स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया है। इससे पहले दिनांक 12.07.2026 तक के बिलों का पूर्ण भुगतान उनके द्वारा किया जा चुका है। फिर स्मार्ट मीटर पर जारी विद्युत बिल में पिछले बिलों की राशि को जोड़ा गया है, जिस कारण बिल अधिक आया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने परिसर पर स्थापित स्मार्ट मीटर के उपरांत जारी विद्युत बिल में जोड़ी बकाया राशि को हटाते हुए संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 17.08.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 25.08.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 07.09.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 07.09.2026 व 21.09.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री फरमान अली (डीईओ) एवं श्री आकाश कश्यप (एसडीसी) वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—6186 दिनांक 21.09.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया कि परिवादी परिसर पर दिनांक 29.07.2026 को स्मार्ट मापक स्थापित किया गया था। वर्तमान में परिवादी का बिल संशोधित करते हुए रू0 4297.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य संशोधित कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 96/2026–27 दिनांक : 21.09.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री लाल चन्द्र पुत्र श्री जिन्दू राम, परिवादी
आर.आर. क्वॉटर, गुरूनानक चौराहा, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री लाल चन्द्र पुत्र श्री जिन्दू राम का एक शिकायती पत्र दिनांक 25.07.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU6A430180160 (01 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल समयानुसार जारी नहीं किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर विद्युत संयोजन के विद्युत बिल समयानुसार जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 25.07.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 01.08.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 12.08.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 12.08.2026, 21.08.2026 व 07.09.2026 को परिवादी की ओर से उनके भाई श्री नरेश कुमार के तथा विपक्षी की ओर से श्री प्रकाश चन्द्र शाह, सहायक अभियन्ता (राजस्व), रूद्रपुर–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–6055 दिनांक 07.09.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का दिनांक 31.03.2026 से दिनांक 31.08.2026 तक की अवधि हेतु बिल रू0 5015.00 का बना दिया गया है। जिसकी सूचना परिवादी को व्हाटसएप के

क्रमशः 2....

माध्यम से दी गयी है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 130/2026–27 दिनांक : 23.09.2026

उपस्थितः **श्री राम सिंह नेगी**
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती कमला जोशी पुत्र श्री नितेश जोशी,
नियर डिवाइन होम्स, गायत्री विहार, रूद्रपुर। **परिवादी**

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2 **विपक्षी**

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती कमला जोशी पुत्र श्री नितेश जोशी का एक शिकायती पत्र दिनांक 21.08.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU1K301858016 (04 किलोवाट घरेलू) पर पिछले 2 माह से विद्युत बिल अधिक आ रहा है जबकि उनकी विद्युत खपत सामान्य है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर जारी विद्युत बिल की जांच करते हुए संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 21.08.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 29.08.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 07.09.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 07.09.2026 व 21.09.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री फरमान अली (डीईओ) एवं श्री आकाश कश्यप (एसडीसी), वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–6185 दिनांक 21.09.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया कि दिनांक 22.07.2026 को परिवादिनी का पुराना मीटर बदलकर नया स्मार्ट मापक संख्या–42212775 स्थापित किया गया। मीटर स्थापना के उपरांत विभागीय बिलिंग

क्रमशः 2....

साफ्टवेयर में पुराने मीटर की अंतिम रीडिंग त्रुटिवश 8100 अंकित कर दी गई थी, जिसके आधार पर उनको रू0 9202.00 का त्रुटिपूर्ण बिल प्रेषित कर दिया गया था, जबकि मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र के अनुसार वास्तविक अंतिम रीडिंग 7087 है। सीलिंग प्रमाण पत्र में अंकित पुराने मीटर की वास्तविक अंतिम रीडिंग 7087 के अनुसार परिवादिनी का बिल संशोधित कर रू0 951.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री, मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार, विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 106/2026–27 दिनांक : 21.09.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती सुषमा पत्नी श्री रविन्द्र सिंह कंदारी, परिवादी
जी 16, जयनगर लक्ष्मी विहार, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती सुषमा पत्नी श्री रविन्द्र सिंह कंदारी का एक शिकायती पत्र दिनांक 03.08.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–8922306159697 (03 किलोवाट घरेलू) का सही खाता संख्या–42301036481 है, जिस पर विद्युत मीटर स्थापित किया गया है। विभाग द्वारा एक डुप्लीकेट संयोजन खाता संख्या–42400083376 का विद्युत बिल जारी किया जा रहा है, जोकि गलत है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत संयोजन की जांच कर डुप्लीकेट खाता संख्या–42400083376 को बन्द कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 03.08.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 11.08.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 12.08.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 12.08.2026, 21.08.2026 व 07.09.2026 को परिवादिनी प्रतिनिधि के तथा विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक, रूद्रपुर–1 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–5791 दिनांक 24.08.2026 के

क्रमशः 2....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के नाम पर 02 विद्युत संयोजन दर्ज है, जिसमें जांच उपरांत एक विद्युत संयोजन संख्या–8922306336050 एकाउन्ट नं0 42400083376 डुप्लीकेट पाया गया है। परिवादिनी के उक्त डुप्लीकेट संयोजन को निरस्त करने हेतु खण्ड कार्यालय द्वारा ज्ञाप संख्या–5775 दिनांक 24.08.2026 के माध्यम से उक्त संयोजन को बिलिंग प्रणाली में मास्टर डिलीशन कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप डुप्लीकेट संयोजन निरस्त करने हेतु कार्यालय ज्ञाप एवं मास्टर डिलीशन की सिस्टम प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 140/2026–27 दिनांक : 23.09.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती कमलजीत कौर पत्नी श्री हरप्रीत सिंह, परिवादी
कलेक्टर फार्म, नजदीक पॉलिगंज, खटीमा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती कमलजीत कौर पत्नी श्री हरप्रीत सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 29.08.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KH2P102170634 (02 किलोवाट घरेलू) पर स्थापित विद्युत मीटर में उनकी विद्युत खपत 300 यूनिट तक होती है। विभाग द्वारा विद्युत बिल में गलत तरीके से एम0एफ0 बढ़ाकर वास्तविक खपत से कई गुना अधिक का बिल जारी किया गया है, जबकि उनकी विद्युत खपत सामान्य है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर व जारी विद्युत बिल दर्ज एम0एफ0 की जांच कराकर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 29.08.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 11.09.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 22.09.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 22.09.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक–2, खटीमा के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–602 दिनांक 21.09.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया कि परिवादिनी को दिनांक 04.06.2025 को नया संयोजन निर्गत

क्रमशः 2....

किया गया था, जिस दौरान उनके संयोजन का मल्टीप्लाईंग फैक्टर (MF) 01 के स्थान पर त्रुटिवश 17 अंकित कर दिया गया था। इस कारण से उनके विद्युत मापक में दर्ज खपत 468 केडब्ल्यूएच को त्रुटिपूर्ण मल्टीप्लाईंग फैक्टर 17 से गुणा करते हुए 7956 केडब्ल्यूएच खपत का बिल प्रेषित कर दिया गया था, जोकि गलत है। वर्तमान में परिवादिनी के संयोजन के त्रुटिपूर्ण मल्टीप्लाईंग फैक्टर (MF) 17 को सही 01 कर दिया गया है। तदनुसार, परिवादिनी को प्रेषित रू0 69390.00 के त्रुटिपूर्ण बिल में नियमानुसार रू0 60,980.00 का समायोजन देते हुए रू0 8,409.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल की गणना एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार, विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मंगाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 111/2026–27 दिनांक : 21.09.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती ओमवती वास्ते श्री शिव कुमार चौहान, परिवादी
चौहान निवास, कविनगर, नालापार, काशीपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती ओमवती की ओर से श्री शिव कुमार चौहान पुत्र श्री महेश कुमार चौहान का एक शिकायती पत्र दिनांक 06.08.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–372CGH2112530 (घरेलू) जिस परिसर पर स्थापित है, उस परिसर के ठीक सामने विभाग द्वारा एक विद्युत पोल अनुचित दूरी पर स्थापित किया गया है। उसी पोल पर एक कनेक्शन बॉक्स और खुली एल.टी. विद्युत तारे जुड़ी हुई है, जिससे शार्ट सर्किट व अन्य कारणों से उनकी सम्पत्ति व परिवार के सदस्यों को जान–माल का खतरा बना हुआ है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर के ठीक सामने से विद्युत पोल को हटाकर उचित स्थान पर स्थानांतरित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 06.08.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 14.08.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 22.08.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 22.08.2026 व 09.09.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री कुलदीप प्रजापति, खण्डीय लेखाकार, काशीपुर के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—4630 दिनांक 07.09.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के परिसर का सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं अवर अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें उन्होंने पाया कि परिवादिनी के परिसर की दूरी एल0टी0 विद्युत पोल से लगभग 65 मीटर है, जिसमें नियमानुसार एल0टी0 ए0बी0 केबिल की 65 मीटर लाईन का निमार्ण किया गया है, जिसमें दो पी0सी0सी0 पोल लगे है, जो परिवादिनी के परिसर से काफी दूरी पर है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि परिवादिनी के परिसर से गुजर रही एल0टी0 विद्युत लाईन की दूरी लगभग 02 फीट है। यदि इसके बावजूद भी परिवादिनी विद्युत लाईन को शिफ्टिंग कराना चाहती है तो आर0ओ0डब्लू0 तथा आवेदन करने के उपरांत प्राकलन जमा कर विद्युत लाईन शिफ्ट करा सकती है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं अवर अभियन्ता द्वारा लिखित रिपोर्ट एवं विद्युत लाईन व पोल का फोटोग्राफ की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादिनी की वर्तमान शिकायत विद्युत पोल को अन्यत्र शिफ्ट किए जाने के संबन्ध में हैं। चूंकि विद्युत लाईनों अथवा विद्युत पोल की शिफ्टिंट की शिकायत को सुनना अथवा उनमें निर्णय पारित करना इस मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः परिवादिनी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद संः 112/2026–27 दिनांक : 21.09.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री राजकुमार पुत्र श्री खरपट्टू, परिवादी
ग्राम शिमला पिस्तौर, लालपुर, किच्छा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादी श्री राजकुमार पुत्र श्री खरपट्टू का एक शिकायती पत्र दिनांक 06.08.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC1F121839263 (02 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल लगभग 1000 रूपये तक का आता था, लेकिन विभाग द्वारा इस बार रू0 5430.00 का बिल जारी किया गया है, जो बहुत अधिक है। जबकि उनकी विद्युत खपत पहले की तरह सामान्य है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर जारी विद्युत बिल की जांच कराकर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 06.08.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 14.08.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 21.08.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 21.08.2026 व 08.09.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री ललित मोहन, उपखण्ड अधिकारी, किच्छा के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–2213 दिनांक 07.09.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी की उक्त शिकायत के अनुपालन में परिवादी के उक्त परिसर पर दिनांक 27.08.2026 को चैक मापक स्थापित किया गया था, जिसे सीलिंग प्रमाण

क्रमशः 2....

पत्र संख्या–022/838 दिनांक 08.09.2026 द्वारा फाइनल किया गया है। चैक मापक रिपोर्ट के अनुसार परिवादी का पुराना मापक सही पाया गया। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप चैक मापक रिपोर्ट, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को संयोजन निर्गत करने के बाद से ही लगातार मीटर में अंकित रीडिंग के आधार पर बिल निर्गत किए जा रहे हैं। परिवादी की शिकायत पर विपक्षी विभाग द्वारा उसके परिसर पर चैक मापक लगातार मीटर की जांच की गई, जिसमें उसका पुराना मापक सही पाया गया। चूंकि सही मापक में दर्ज रीडिंग के आधार पर प्रेषित बिल पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र सयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य